उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्संम्बन्धी नियम 2007 के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण

1– अधिनियम का उददेश्य

वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन निवासिंयों, जो पीढियों से इन वनों में निवास करते रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को दर्ज नही किया जा सका, उन्हें वन भूमि पर उनके कब्जे तथा उनके अधिकारों को मान्यता देने हेतु एक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु 31 दिसम्बर 2007 से अधिनियम लागू किया गया है।

2– अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार हेतु उपयुक्त पात्रता

- राज्यों के क्षेत्रों में जहां कोई जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित हैं, वहां की वन निवासी अनुसूचित जनजातियां और
- अन्य परम्परागत वन निवासी, इस अधिनियम के अंतर्गत वन निवासी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता एवं ये अधिकार उन्हे इस शर्त के अधीन सौंपे जांयेगे की ऐसी अनुसूचित जनजाति तथा जनजातीय समुदाय 13 दिसम्बर 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज हों, तथा अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढियों (75 वर्ष) से वन भूमि पर काबिज हों।

3– अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त वन अधिकार

यह अधिनियम वन निवासी अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासियो के निम्नांकित वन अधिकारों को 31.12.2007 से मान्यता देता है,

(1) व्यक्तिगत अधिकार उदाहरण स्वरूप वन भूमि पर खेती का अधिकारी
(2) सामुदायिक अधिकार उदाहरण स्वरूप वन लघु उत्पादों का संग्रह

4– अधिनियम से प्राप्त होने वाले लाभ

- अधिनियम के परिणाम स्वरूप वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को, लम्बे समय से उनके कब्जे में रही वन भूमि और उनकी आजीविका के लिए स्वंय की खेती व निवास के लिए वन अधिकारों को मान्यता मिलेगी।
- उन्हे, लघु वन उत्पादों का प्रयोग करने अथवा उनका निपटान करने की पहुंच प्राप्त होगी।
- जब तक उनके अधिकारों का निर्णय नही हो जाता, उनके कब्जे में रही वन भूमि से उनकी बेदखली अथवा उन्हें हटाने की धमकी का सामना नहीं करना पडेगा।

- उनके पक्ष में भूमि का स्पष्टतः हकनामा, हो जाने के बाद उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- वन निवासी अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वंय की खेती अथवा निवास के लिए साझा कब्जा अथवा किसी व्यक्ति के अधीन वन भूमि के सम्बन्ध में वन अधिकारों को मान्यता मिलेगी तथापि, वास्तविक कब्जा के अंतर्गत क्षेत्र को प्रतिबन्धित किया जाएगा अथवा किसी भी हालत में यह क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक नही होगा।
- वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करना और उन्हें मान्यता देना जिसमें वन्य जीवन, वन और जैव विविधता का संरक्षण, सुरक्षा और पुनरूत्पादन भी शामिल हैं।
- अधिनियम में वन भूमि के हकनामें का पंजीकरण संयुक्त रूप से पति पत्नी, विवाहित होने पर दोनो के नाम, और ऐसे परिवार के मामले में जिसका मुखिया अकेला अविवाहित है, एक व्यक्ति के नाम मे होने की परिकल्पना है। इससे वनों मे रहने वाली महिलाएं भी लाभान्वित होगी।

5— कियान्वयन हेतु ऐजेन्सी का चयन तथा संचालन

योजना कियान्वयन हेतु निदेशालय जनजाति कल्याण नोडल विभाग होगा तथा कियान्वयन हेतु राज्य की स्वंय सेवी संस्थाओं/इच्छुक ऐजेन्सी/संस्थाओं जो सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वन अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम हो, से प्रस्ताव आंमत्रित किये जा रहे हैं, प्राप्त प्रस्तावों पर चयन आदि की कार्यवाही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित) 2017 में विहित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।:

3. निदेशक जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में योजना का संचालन एंव तकनीकी समिति द्वारा योजना हेतु मंगाये गये प्रस्ताव का आंकलन किया जायेगा। उपयुक्त प्रस्ताव का चयन समिति की माध्यम से किया जायेगा। इस समिति के सदस्य संयोजक संयुक्त निदेशक जनजाति कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड होगें। चयन समिति की स्वरूप निम्नक्त है—

निदेशक जनजाति कल्याण	**— अध्यक्ष**
वित्त अधिकारी	— सदस्य
संयुक्त निदेशक	**— सदस्य संयोजक**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	— सदस्य सचिव

योजना का संचालन निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड की निगरानी में गठित समिति के द्वारा चयनित सरकारी एंव गैर सरकारी संगठन, स्वंय सेवी संस्था अथवा समूह से कराया जायेगां। प्रस्तावों के चयन हेतु पंजीकरण आवश्यक होगा। प्राप्त प्रस्तावों हेतु समिति के सामने प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। एक से अधिक प्रस्ताव आने पर निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा प्रस्ताव का चयन किया जायेगा। समिति द्वारा ऐजेन्सीयों के तकनीकी पक्ष पर निर्णय लिया जायेगा। योजना संचालन हेतु जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति मदवार निर्धारित है। चयनित ऐजेन्सी को जनजाति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत धनराशि के आधार पर ही अनुबन्ध के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

6. **योजना का कियान्वयन, मूल्यांकन एंव अनुश्रवण**

योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन निदेशालय जनजाति कल्याण के माध्यम से समय–समय पर किया जायेगा। जनपद स्तर पर योजना का नियोजन कार्यान्वयन एंव अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद स्तर पर योजना के नियोजन एंव कार्यान्वयन के लिए संगत दिशा निर्देशों के अर्न्तगत आवश्यक निर्णय लेंग एंव कार्यो की समीक्षा करेंगे।

7. **कार्यो का विवरण जिसके लिए जनपदवार दरे मांगी जायेगी–**

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत जहां दावे अधिक आने की सम्भावना हो, उन क्षेत्रो का चिन्हीकरण करके कैम्पों का आयोजन कराया जाना।

2. समितियों का गठन यदि नहीं किया गया है तो समितियों का गठन कराया जाना।
   - **क–** दावो का प्राप्त किया जाना।
   - **ख–** दावो पर अधिनियम के अनुसार साक्ष्य एकत्र किया जाना।

3. निदेशालय को मासिक प्रगति रिर्पोट एंव सर्वे रिर्पोट इत्यादि प्रेषित करना।

4. निदेशालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो का सम्पादन करना।

8. **प्रस्ताव की रूपरेखा**

इच्छुक सेवा प्रदाता फर्म का नाम, विधिक प्रास्थिति, विगत में सम्पादित कार्यो का संक्षित विवरण, प्रश्नगत कार्य को सम्पन्न करने हेतु कार्ययोजना का समावेश करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगें।

निदेशक
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड
देहरादून।